राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

2017 किस्म मुकदमा अ.धा. 91तारीख रजजु 22.12.2017 निर्णय दिनांक 19.01.18

सरकार बनाम तिलोकाराम

19.01.2018 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कि पटवारी हल्का कायमसर ने इस आश्य कि रिपोर्ट पेश कि है की सरहद ग्राम ठेडी के भूमि ख. न. 103 कुल रकबा 4.60 हैक्टयर में से 0.07 हैक्टयर रकबा किस्म बजड़ जोहड़ राजकीय भूमि पर श्री तिलोकाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी ठेडी ने सम्वत 2074 में सरकारी भूमी पर अवैध रूप से तारबंदी कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उक्त अतिक्रमी के विरूद्व रा.ले.रे. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलबी जारी की गई। गैरसायल/अतिक्रमी नोटिस तलबी पर उपस्थित/अनुपस्थित आया/रहा, तथा नोटिस के जवाव में जवाव नोटिस पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल ने सरकारी भूमि कब्जे बावत जवाव प्रार्थना पत्र के अलावा कोई ठोस सबूत कब्जे बाबत पेश नही किया गया। इससे जाहिर है कि गैरसायल का उक्त राजकीय भूमी पर कब्जा पुराना नही है। अतः गैरसायल को उक्त राजकीय भूमी अवैध मौके पर तारवंदी कर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही था। अतः गैरसायल को रा. ले.रे. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा राजकीय भूमी से बेदखली के आदेश दिये जाते है। अतिक्रमी द्वारा किये गये अतिक्रमण के दण्डस्वरूप शरह लगान 0.35 का पचास गुणा 18/– रूपये तावान कायम किया जाता है।

अतिक्रमी तिलोकाराम को ग्राम ठेडी के ख.न. 103 रकबा 0.07 हैक्टयर किस्म बजड़ जोहड़ राजकीय भूमि से बेदखली हेतु भू.अ.नि.तिहावली/पटवारी हल्का कायमसर को लिखा जावे। तथा मोके की बेदखली रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय में पेश करे। अतिक्रमी के विरूद्व कायम की गई पैनल्टी की वसूली हेतु त.रा.ले. पटवारी हल्का के लेखों में कायम की जाकर, पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दप्तर की जाकर नम्बर शुमार से कम हो।

आदेश आज दिनांक 19.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
रामगढ़ शेखावाटी
(सीकर)

Scanned by CamScanner